रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936
No. 484] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2014

सा.का.नि. 671(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे और उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 के दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में-

(1) नियम 6 में-

(क) उपनियम (2) में-

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) में "तथा माता का नाम तथा पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो) शब्दों के स्थान पर" का नाम शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, "प्ररूप डीआईआर-1 में" शब्दों, अक्षरों और अंको का लोप किया जाएंगा;

(2) नियम 9 में, के उपनियम, (3) में, एन.पी. क(i) खंड (क) में "प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा" शब्दों के स्थान पर "तथा प्ररूप का सत्यापन और उस पर हस्ताक्षर करेगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-खंड (iv) का लोप किया जाएगा।

(ख) नियम 9 में, उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) यदि किसी व्यक्ति के नाम में उसका अंतिम नहीं है तो प्ररूप संख्या **डीआईआर-3क** में घोषणापत्र के साथ उसके पिता अथवा पितामाह के उपनाम उल्लेख अंतिम नाम में किया जाएगा"।

(3) नियम 10 में,-

(क) उपनियम (1) में, "सिस्टम अंनतिम अस्थायी निदेशक पहचान संख्या जनित हो जाएगी जिसका तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशक पहचान संख्या की पृष्टि नहीं कर दी जाती है" शब्दों के स्थान पर "सिस्टम द्वारा स्वतः ही एक आवेदन संख्या जनित हो जाएगी" शब्द रखें जाएंगें;

(ख) उपनियम (2) में "अंनतिम निदेशक पहचान संख्या " शब्दों के स्थान पर "आवेदन संख्या" शब्द रखें जाएंगे।

(ग) उपनियम (4), में "सिस्टम द्वारा इस प्रकार आबंटित अंनतिम निदेशक पहचान संख्या स्वतः रद्द हो जाएगी तथा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(4) नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"10क. (1) प्रत्येक निदेशकों जो 30 जून, 2007 को या उससे पहले एक या अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा है और जिसने ऐसी कंपनी अथवा कंपनियों को अपनी निदेशक पहचान संख्या अभी तक सूचित नहीं किया है, केन्द्रीय सरकार से निदेशक पहचान संख्या प्राप्त होने के एक मास के भीतर अपनी निदेशक पहचान संख्या प्ररूप डीआईआर-3ख के अनुसार कंपनी अथवा सभी कंपनियों को जिनमें वह निदेशक है, सूचित करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 157 के अधीन कंपनी द्वारा उसके निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या धारा 156 के अधीन सूचना प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर **डीआईआर-3ग** में दी जाएगी।

(5) नियम 11 में, "किसी व्यक्ति" से शब्दों के पश्चात् "कंपनी(रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट फीस सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(6) नियम 12 के, उपनियम (1) के, उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्;

"(i) आवेदक पोर्टल से प्ररूप डीआईआर-6 डाउनलोड करेगा, उसके सुसंगत परिवर्तनों को भरेगा, प्ररूप का सत्यापन करेगा और परिवर्तित विशिष्टियों के सम्यक् रूप से स्कैन की गई सबूतों की दो प्रतिलिपि संलग्न करके इलेक्ट्रानिक रूप से जमा (सब्मिट) करेगा"।

(7) विद्यमान प्ररूप डीआईआर-1 लोप किया जाएगा;

(8) विद्यमान प्ररूप डीआईआर-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप डीआईआर-3"

"प्ररूप डीआईआर-3" [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 9(1) और सीमित दायित्व भागीदारी	सत्यमेव जयते	**निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन**

नियम, 2009 के नियम 10 के अनुसरण में]		

- *के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।
- भारतीय राष्ट्रीयता वालों की दशा में आयकर स्थायी खाता नाम (आयकर पैन) अनिवार्य है तथा ऐसी स्थिति में आवेदक के ब्यौरे आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए। आयकर पैन के अनुसार ब्यौरे सही न होने पर, आवेदक को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम आयकर पैन में ब्यौरों को सही करें। ब्यौरों के लिए निर्देश किट देखें।
- विदेशी राष्ट्रिक होने की स्थिति में, पासपोर्ट संख्या अनिवार्य है।
-

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) प्रथम नाम..... **फोटो**

(ख) उपनाम.....

(ग) मध्य नाम.....

(उपर्युक्त बॉक्स पर क्लिक करके पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं)

(फोटो हटाएं)

2. *पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)

प्रथम नाम.....

उपनाम.....

मध्य नाम.....

3. *क्या भारतीय नागरिक है * हां * नहीं
4. राष्ट्रीयता
5. *क्या भारतीय निवासी है *हां *नहीं
6. (क) *व्यवसाय का प्रकार * स्वनियोजित *व्यावसायिक * गृहिणी *छात्र *कर्मचारी

व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुने तो उल्लेख करें.....

(ख) *शैक्षणिक अर्हताएं.....

7. *जन्म की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
8. *लिंग *पुरूष * स्त्री * ट्रांसजेंडर
9. जन्म स्थान.....
10. आयकर स्थायी खाता संख्या.....(आयकर पैन के ब्यौरों का सत्यापन करें)
11. मतदाता पहचान पत्र संख्या.....
12. पासपोर्ट संख्या.....
13. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या.....
14. आधार संख्या.....
15. स्थायी आवासीय पता

*पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

*नगर.....

*राज्य.....

*आईएसओ कंट्री कोड.....पिन कोड

देश.....

*दूरभाष..... मोबाइल .....फैक्स

ईमेल आईडी.....

16. *क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता समान है * हां * नहीं

17. वर्तमान आवासीय पता

पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

नगर.....

राज्य.....

आईएसओ कंट्री कोड.....पिन कोड

देश.....

दूरभाष..... फैक्स .....

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. *आवेदक की पहचान का सबूत **(संलग्न करें)**
2. *आवेदक के आवास का सबूत **(संलग्न करें)**
3. वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हो **(संलग्न करें)**

(संलग्नक हटाएं)

<u>सत्यापन</u>

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... जन्म ..... निवासी ..... पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही है और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप है।

मैं यह पुष्टि और घोषणा करता/करती हूं कि

1. प्ररूप डीआईआर-3 के साथ संलग्न किए जा रहे फोटो और दस्तावेज मुझसे संबंधित हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3 के साथ संलग्न किए जा रहे हैं, और

2. मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य उपबंधों के अधीन जिसके अंदर धारा 164 के धारा 169 है किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने के लिए अवरूद्ध, अनर्हित या अपसारित नहीं किया गया है, और

3. मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है, और

4. मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटित नहीं की गई है, और

5. मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारा 448 के उपबंधों को पढ़ा है और समझ लिया है, और

6. मैं सत्यनिष्ठा यह घोषणा करता/करती हूं कि इसमें दी गई उपर्युक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है तथा इसमें कोई तथ्य छुपाया नही गया है और न हीं इसका कोई भाग झूठा है।

*टिप्पणः- जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षरः

(नाम)

***आवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर हेतु** (डीएससी बॉक्स)

प्रमाणपत्र

मै घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजनार्थ विहित रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है किः

- मैंने संलग्न दस्तावेज की मूल प्रति के अवलोकन के आधार पर आवेदक की पहचान के बारें में अपना समाधान कर लिया है।
  टिप्पणः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में ब्यौरें/सत्यापन यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना।
- मैंने उक्त व्यक्ति की फोटो के अभिप्रमाणन को भी सुनिश्चित किया है:
- जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं; या
- जो मुझे प्रमाणित मूल दस्तावेज़ों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिला है।
- यह और सत्यापित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस आवेदन के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं
- मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और उसके अनुषंगिक विषयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है और उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नकों सहित) का सत्यापन कंपनी/ आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है और उन्हें कि वे सत्य, सही और पूर्ण पाया हैं तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूं किः
- सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं।
- मैंने अग्रिम निर्देश के लिए प्ररूप और उसके संलग्नकों की प्रति रख ली है।
- यह समझ लिया है कि मैं किसी प्रक्रम पर गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होंगा।

अंकीय हस्ताक्षर करने के लिए (डीएससी बॉक्स) श्रेणी.....

चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) की दशा में

सदस्यता संख्या.....

व्यवसाय संख्या का प्रमाणपत्र.....

एसोसिएट या फैलो है * एसोसिएट * फैलो

कंपनी सचिव (पूर्णकालिक कार्यरत)या मौजूदा कंपनी ,जिसमें आवेदक को निदेशक के लिए प्रस्तावित किया गया है, का निदेशक होने की स्थिति में

निदेशक का डिन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

कंपनी, जिनके साथ सचिव या निदेशक संबद्ध है ,तथा जिसमें आवदेक को निदेशक के लिए प्रस्तावित किया गया है ,का सीआईएन ..... (पूर्व पूरित)

कंपनी का नाम.....

टिप्पणः धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या विवरण/प्रमाण-पत्र के लिए दंड का तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

.....संशोधित..... फॉर्म चेक करें.....पूर्व संवीक्षा.....प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु..... (फाइल करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन) .....ई–फॉर्म जमा करने की तारीख..... (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकित हस्ताक्षर

मैंने ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है (जमा करने की पुष्टि करें)
इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

या

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रानिक रीति से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।

(9) यथा प्रतिस्थापित प्ररूप डीआईआर-3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप डीआईआर-3क, प्ररूप डीआईआर-3ख और प्ररूप डीआईआर-3ग अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

" प्ररूप डीआईआर-3क"
घोषणा

[कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 9(4) के अनुसरण में]

यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ अंतिम नाम नहीं है तो "अंतिम नाम" स्तभ में उसके पिता का पहला नाम भरना अनिवार्य होगा। ऐसे मामले में डीआईएन आवेदन के साथ, निम्नलिखित रूप विधान में घोषणा भी प्रस्तुत की जाएगीः

घोषणा का नमूना/रूपविधान:
(यदि पहचान प्रमाण पत्र में आवेदक का केवल नाम हो)

मैं ..... (पहचान प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री ..... (नाम) .....(उपनाम)..... निवासी (निवास प्रमाण पत्र के अनुसार पता) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान पुष्टि करता/करती हूं और निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:

मैं अपने अंतिम नाम के रूप में अपने कुटुम्ब का नाम/ उपनाम नहीं लगाता/लगाती हूं। तथापि यह डीआईएन आवेदन के लिए यह अनिवार्य अपेक्षा है इसलिए अंतिम नाम के रूप में मै अपने पिता का उपनाम प्रयुक्त कर रहा/रही हूं।
मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए कथन में मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य है और कि इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है और कि इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, 447 और धारा 448 को पढ़ और समझ लिया है।

(यदि पहचान प्रमाण पत्र में आवेदक के पिता का केवल नाम हो)
मैं ..... और मेरे पिता के नाम के साथ, जैसा कि संलग्न पहचान प्रमाण पत्र से स्पष्ट है, उपनाम नहीं है। मेरे पितामह का नाम ..... (नाम) ..... (उपनाम) है। डीआईएन आवेदन के प्रयोजन के लिए, मैं अपने उपनाम, जो कि डीआईएन आवेदन के लिए अनिवार्य अपेक्षा है, के रूप में अपने पितामह के उपनाम "....." का उल्लेख कर रहा हूं/कर रही हूं।

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और कि इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है और कि इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारा 448 के उपबंधों को पढ़ और समझ लिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर"

तारीख
स्थान

डीआईआर-3 ख प्ररूप

निदेशक द्वारा कंपनी को निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की सूचना

(कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 10(क) के अनुसरण में)

सेवा में

_____

_____

तारीख_____

विषयः निदेशक द्वारा कंपनी को निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की सूचना

महोदय,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 156 और उसके अधीन बनाए गए बने नियमों के संदर्भ में मैं विहित निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना के साथ मुझे आवधि डीआईएन से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूः-

क्र. सं.	विषय	विशिष्टियां
1.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
2.	नाम	
3	पिता का नाम	
4.	वर्तमान आवासीय पता	
5.	ई-मेल आईडी	
6.	पदनाम (निदेशक या प्रबंधक निदेशक या वैकल्पिक निदेशक या अपर निदेशक या आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त निदेशक या नामनिर्दिष्ट निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
7.	विनिर्दिष्ट करें कि क्या अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक,गैर कार्यपालक निदेशक हैं (यदि एक से अधिक हो तो दोनों को विनिर्दिष्ट उल्लेख करें)	
8.	श्रेणी (संप्रवर्तक या व्यवसायिक या स्वतंत्र)	
9.	उस कंपनी या संस्था का नाम, जिसमे निदेशक नामनिर्दिष्ट है	
10.	नियुक्ति की तारीख	
11.	कंपनी का ब्यौरा, जिसमें निदेशक/ केएमपी के रूप में नियुक्त है कंपनी का नाम | सीआईएन | पदनाम | नियुक्ति की तारीख	
12.	नमूना हस्ताक्षर	

डीआईएन आबंटन पत्र की एक प्रति संलग्न है। कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूं किः-

(i) मुझे निगमन की तारीख अर्थात्..... से निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया था।

या

(ii) मुझे बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में.....तारीख से.....के बोर्ड की संकल्प संख्या.....तारीख द्वारा या.....से तारीख.....के संकल्प संख्या .....द्वारा .....से नियुक्त किया गया था (उक्त संकल्प की प्रति संलग्न की जाएगी)

(iii) ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 32 की प्रति फाइल कर दी गई।

भवदीय

( )

प्ररूप डीआईआर -3ग कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्या की सूचना

टिप्पण- सभी स्थान जहां * लगे हैं, अनिवार्य रूप से भरे जाएं।

1. *कंपनी की कारपोरेट पंजीकरण संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)

2. (क) कंपनी की नाम.....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता पंक्ति I.....

पंक्ति II .....

(ग) * नगर.....

(घ) * जिला.....(ङ)* राज्य.....

(च)* आईएसओ देश कोड..... (छ)* पिन कोड.....

3.* कंपनी का ई-मेल पता.....

4. प्राधिकृत पूंजी (रूपए में).....5. कंपनी के सदस्यों की संख्या.....

6. समदत्त पूंजी (रूपए में).....

7(क). यह प्ररूप भरने की तारीख को प्रबंधन निदेशक, निदेशक/निदेशकों की कुल संख्या.....

7(ख). प्रबंधन निदेशक, निदेशक/निदेशकों की संख्या.....(यहां प्रबंधन निदेशक, निदेशकों की कुल संख्या प्रविष्ट करें, जिनके लिए प्ररूप भरा जाना है।)

8. कंपनी के प्रबंधन निदेशक, निदेशकों के ब्यौरे

कंपनी के निदेशक या प्रबंधन निदेशक का ब्यौरा

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)
पूरा नाम.....
पिता का नाम.....
वर्तमान आवासीय पता.....

.....

.....

जन्म की तारीख..... (दिन/मास/वर्ष)

केन्द्रीय सरकार द्वारा डीआईएन के अनुमोदन की तारीख..... (दिन/मास/वर्ष)

निदेशक से प्ररूप डीआईएन-2 प्राप्ति की तारीख..... (दिन/मास/वर्ष) (प्ररूप डीआईएन-2 की प्रति संलग्न करे)

क्या पता कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार है *हां * नहीं
पदनाम.....
श्रेणी.....
क्या अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक हैं

* अध्यक्ष * कार्यपालक निदेशक * गैर कार्यपालक निदेशक

निदेशक जिनके लिए नियुक्त व्यक्ति विकल्प है, का डिन .....(पूर्व पूरित)
निदेशक का नाम जिनके लिए नियुक्त व्यक्ति विकल्प है.....
कंपनी अथवा संस्था का नाम जिसमें नियुक्त व्यक्ति नामनिर्दिष्ट है.....
नियुक्ति की तारीख.....(दिनांक/मास/वर्ष)
ई-मेल आईडी.....

9. कंपनी के प्रबंधक अथवा सचिव के ब्यौरे।

I. कंपनी के प्रबंधक अथवा सचिव के ब्यौरे

आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन).....

प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

अंतिम नाम.....

पिता का नाम

प्रथम नाम.....
मध्य नाम.....
अंतिमनाम.....
वर्तमान आवासीय पता पंक्ति।.....
पंक्ति।।

.....

(क) नगर..... (ख) राज्य.....(ग) देश.....

(घ) पिन कोड.....(ड़) दूरभाष.....(च) फैक्स.....

जन्म की तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष)

पदनाम.....

नियुक्ति की तारीख.....(दिनांक/मास/वर्ष)
पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से नियोजित है *पूर्णकालिक * अंशकालिक
ई-मेल आईडी.....

II. कंपनी के प्रबंधक अथवा सचिव के ब्यौरे

आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन).....
प्रथम नाम.....
मध्य नाम.....
अंतिम नाम.....

पिता का नाम

प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

अंतिम नाम.....

वर्तमान आवासीय पता पंक्ति।.....

पंक्ति।।.....

(ख) नगर..... (ख) राज्य.....(ग) देश.....

(घ) पिन कोड.....(ड़) दूरभाष.....(च) फैक्स.....

जन्म की तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष)

पदनाम.....

नियुक्ति की तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष)

पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से नियोजित है *पूर्णकालिक * अंशकालिक

ई-मेल आईडी.....

संलग्नक

1. वैकल्पिक संलग्नक यदि कोई हो तो (संलग्न करें) संलग्नकों की सूची

(संलग्नक हटाए)

सत्यापन

इस प्ररूप में दी हुई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण हैं।

- मुझे निदेशक मंडल दिनांक.....(तारीख/मास/वर्ष) के संकल्प द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

* इसकी भी पुष्टि की जाती है कि नियुक्त निदेशक (कों), जिनकी विशिष्टियां ऊपर दिए दी गई हैं ने कंपनी को इस आशय की घोषणा दी है कि उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 164 भी है किसी कंपनी के निदेशक के रूप में पर नियुक्ति के लिए अवरूद्ध/ निरर्हित/ नहीं किया गया है निकाला नहीं गया है।

* इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि नियुक्त निदेशक (कों) जिनकी विशिष्टयां ऊपर दी गई हैं, ने कंपनी को इस आशय की घोषणा दे दी है कि उन्हें किसी भी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी के अंकित हस्ताक्षर

कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक.....

*पदनाम.....

निदेशक की निदेशक पहचान संख्या.....

***प्रमाणन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें ऊपर दी गई विशिष्टियों को मैसर्स.....के अभिलेख से सत्यापित कर लिया है तथा उन्हें सत्य और सही पाया है।

प्राधिकृत अधिकारी के अंकित हस्ताक्षर

पूर्णकालिक व्यवसायरत कंपनी सचिव या कंपनी द्वारा नियोजित पूर्णकालिक कंपनी सचिव.....

*पदनाम.....

सचिव की सदस्यता संख्या.....

टिप्पणः धारा 448और धारा 449 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या कथन/ और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है ।

(संशोधित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत)

कार्यालय प्रयोग हेतु (फाइल करने संबंधी ब्यौरे संबद्ध करें)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)..... ई-फार्म जमा करने की तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकित हस्ताक्षर.....

इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है (जमा करने की पुष्टि करें)

इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है

हस्ताक्षर की तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष)

(10) प्ररूप डीआईआर 4का लोप किया जाएगा;

(10) विद्यामान डीआईआर-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप डीआईआर-6 अंतःस्थापित किया जाएगा।

प्ररूप सं. डीआईआर-6 **[कंपनी (निदेशक की नियुक्ति तथा अर्हकता) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	**केन्द्रीय सरकार को दी गई निदेशक की विशिष्टयों में परिवर्तन की सूचना**

टिप्पण-

*अंकित किए हुए सभी स्तभों को पूर्ण करना अनिवार्य है

- भारतीय राष्ट्रीयकों की दशा में, सभी मामलों में आयकर स्थायी खाता संख्या नाम (आयकर पैन) का होना अनिवार्य है। यदि आयकर पैन में कोई बदलाव न होने पर भी की दशा में, सभी मामलों में ऐसे मामले में निदेशक के ब्यौरे आयकर पैन के

आधार पर ही होने चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार ब्यौरे गलत हो तो निदेशक/पदानिहित भागीदार को आयकर पैन में विवरण को सही करने की सलाह दी जाती है। ब्यौरों के लिए अनुदेश किट के प्रति निर्देश करें।

1.(क) निदेशक पहचान संख्या (डिन).....(पूर्व पूरित)

(ख) नाम.....

2.* परिवर्तन का प्रकार

निदेशक .....पिता का नाम .....राष्ट्रीयता .....

जन्म की तारीख .....लिंग .....आयकर पैन स्थायी खाता संख्या .....

मतदाता पहचान पत्र संख्या.....पासपोर्ट संख्या .....ड्राइविंग लाइसेंस संख्या .....

ई-मेल आईडी/मोबाइल .....स्थायी आवासीय पता ..... वर्तमान आवासीय पता..... निदेशक का फोटो .....आवासीय स्थिति ..... आधार संख्या

सही की जाने वाली सूचना भरें। केवल सुसंगत क्षेत्र (क्षेत्रों) को भरें

3. निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) प्रथम नाम.....

(ख) उपनाम.....

(ग) मध्य नाम.....

फोटो

(उपर्युक्त बॉक्स पर क्लिक करके अद्यतन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करें) (ब्यौरों के लिए निर्देश किट देखें)

(फोटोग्राफ हटाएं)

4. पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)

(क) प्रथम नाम.....

(ख) उपनाम.....

(ग) मध्य नाम.....

5. क्या भारतीय नागरिक है ..... हां ..... नहीं

6. राष्ट्रीयता .....

6. (क) क्या भारत में निवास करते हैं ..... हां ..... नहीं

7. जन्म की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

8. लिंग .....पुरूष .....स्त्री ..... ट्रांसजेंडर

9. आयकर पैन.....

10. मतदाता पहचान पत्र संख्या..... 11. पासपोर्ट संख्या.....

12. ड्रांइविंग लाइसेंस संख्या..... (ब्यौरों का सत्यापन करें)

13. आधार संख्या.....

*14. मोबाईल.....

*15. ईमेल पता.....

16. स्थायी आवासीय पता

पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

नगर..... राज्य..... पिन कोड .....

आईएसओ कंट्री कोड ..... दूरभाष..... फैक्स.....

देश.....

17. क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता समान है ..... हां ..... नहीं

वर्तमान पता

पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

नगर..... राज्य..... पिन कोड .....

आईएसओ कंट्री कोड.....

देश.....

दूरभाष..... फैक्स.....

संलग्नक

संलग्नकः

1. *विवरणों में परिवर्तन का प्रमाण; (सलंग्न करें)
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो; (सलंग्न करें)

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मैं यह पुष्टि और सत्यापित करता हूँ कि ऊपर प्ररूप में दिए गए विवरण सही हैं और इस प्ररूप के साथ संलग्नक दस्तावेजों के अनुरूप भी हैं।

(i) प्ररूप डीआईआर-6 के साथ संलगन फोटो और दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विहित रूप से प्रमाणित किए गए हैं और प्ररूप डीआईआर-6 के साथ संलगन किए जा रहे हैं तथा

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन, धारा 164 और 169 सहित, किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने से मुझे प्रतिबंधित अयोग्य नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, तथा

(iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है, तथा

(iv) मेरे पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन परिवर्तन हेतु सूचित किए जा रहे डीआईएन के अतिरिक्त डीआईएन अथवा सीमित दायित्व भागिदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन पदनामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं है।

(v) और यदि इस आवेदन का कोई कथन गलत पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छोड़ा गया पाया जाता है तो मैं अधिनियम की धारा 448 के अधीन और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संगत उपबंधों और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन उत्तरदायी होंऊंगा।

***आवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए डीएससी**

प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझेइस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि:

*मैंने संलग्न दस्तावेजों के मूल के परिशीलन के आधार पर आवेदक की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान कर लिया है।

टिप्पणी: आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की दशा में विशिष्टियों को यथा विहित प्रमाणन प्राधिकारी, द्वारा सम्यक रूप से की प्रमाणित दस्तावेजों से सत्यापित किया जाना होगा।

मैं उक्त व्यक्ति की अनुप्रमाणित फोटो का भी सत्यापन कर लिया है:

- जिसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं; या
- जो मुझसे अनुप्रमाणित दस्तावेज़ों के मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से मिला है।

*इस आवेदन के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं।

*मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अध्ययन कर लिया है और उपर्युक्त विवरण (संलग्नकों सहित) का सत्यापन कंपनी/ आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई गई है।

*मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

*सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं।

*मैंने भावी संदर्भ के लिए प्ररूप और उसके संलग्नकों की प्रति रख ली है।

*यह समझ लिया है कि मुझ पर किसी भी प्रक्रम पर पाए गए गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

***डिजीटल हस्ताक्षर करने के लिए** (डीएससी बॉक्स)

*श्रेणी.....

*एसोसिएट या फैलो है ..... एसोसिएट ..... फैलो

*सदस्यता संख्या .....

*प्रैक्टिस संख्या का प्रमाणपत्र.....

संशोधित करें **फॉर्म चेक करें** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत**

टिप्पण: धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान आकृष्ठ किया जाता है जिसमें मिथ्या विवरण के लिए दंड तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपलब्ध है।

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु:

फाइल करने संबंधी विवरण संबद्ध करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं.(एसआरएन)..... ई-प्ररूप जमा करने की तारीख ..... (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है .....

इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है ..... (जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रानिक रीति से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।

या

(12) प्ररूप डीआईआर-7 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.01/9/2013(भाग-II) सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 18th September 2014

G.S.R. 671 (E).—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1), sub-section (4) and clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors)Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014-

(1) in rule 6, -

(a) in sub-rule (2) -

(i) clause (c) shall be omitted;

(ii) in clause (d), the words "and mother's name and Spouse's name (if married)" shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), the words letters and figure "in Form DIR-1" shall be omitted;

(2) in rule 9, in sub-rule (3),

(a)(i) in clause (a), for the words "therein and sign the form", the words "therein, verify and sign the form" shall be substituted;

(ii) sub-clause (iv) shall be omitted.

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) In case the name of a person does not have a last name, then his or her father's or grandfather's surname shall be mentioned in the last name along with the declaration in Form No. **DIR-3A**.";

(3) in rule 10,-

(a) in sub-rule (1), for the words and letters "the provisional DIN shall be generated by the system automatically which shall not be utilised till the DIN is confirmed by the Central Government", the words "an application number shall be generated by the system automatically" and letters shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words and letters"the provisional DIN" the words "application number" shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), the words and letters "the provisional DIN so allotted by the system shall get lapsed automatically and" shall be omitted;

(4) after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

"10A.(1) Every director, functioning as a director in one or more companies on or before the 30th June, 2007 and who has not yet intimated his DIN to such company or companies shall, within one month of the receipt of Director Identification Number from the Central Government, intimate his Director Identification Number to the company or all companies wherein he is a director as per Form **DIR-3B**.

(2) The intimation by the company of Director Identification Number of its directors under section 157 of the Act shall be furnished in Form **DIR-3C** within fifteen days of receipt of intimation under section 156.";

(5) in rule 11, after the words "application received", the words "alongwith fee as specified in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014" shall be inserted ;

(6) in rule 12, in sub-rule (1), for sub-clause (i),the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) The applicant shall download Form DIR-6 from the portal, fill in the relevant changes, verify the Form and attach duly scanned copy of the proof of the changed particulars and submit electronically.";

(7) the existing Form DIR-1 shall be omitted;

(8) for the existing Forms DIR-3, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM NO. DIR-3

[Pursuant to section 153 of The Companies Act, 2013 & Rule 9(1) of the Companies(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 & Rule 10 of Limited Liability Partnership Rules, 2009]

सत्यमेव जयते

Application for allotment of Director Identification Number

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.

- Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in case of Indian nationals and in such case applicant details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, applicant is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.

- In case of foreign nationals, Passport number is mandatory.

1. *Applicant's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

2. *Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

3. *Whether a citizen of India ◯ Yes ◯ No

4. Nationality

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)

Remove Photograph

5. *Whether resident in India o Yes o No

6. (a) *Occupation Type o Self-employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman

Area of Occupation

If 'other' selected, please specify

(b) *Educational qualification

7. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

8. * Gender o Male o Female o Transgender

9. Place of birth

10. Income-Tax permanent account number Verify Income-tax PAN details

11. Voter's identity card number

12. Passport number

13. Driving license number

14. Aadhaar number

15. Permanent residential address

*Line I

Line II

*City

*State *Pin code

* ISO country code

Country

*

Phone *Mobile Fax

*e-mail ID

16. *Whether present residential address is same as permanent residential address o Yes o No

17. Present residential address

Line I

Line II

City

State Pin code

ISO country code

Country

Phone Fax

Attachments

List of attachments

1. * Proof of identity of applicant — Attach

2. * Proof of residence of applicant — Attach

3. Optional attachment(s) - if any — Attach

Attach

Remove attachment

VERITICATION

I

Son*/ Daughter* of,

born on, r

hereby confirm and verify that the particulars given in this Form are true and also are in agreement with the documents being attached thereto.

I hereby confirm and declare that:

1. The photograph and documents being attached to the Form DIR-3 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the said Form DIR-3, and

2. I am not restrained, disqualified, removed of, for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and

3. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and

4. I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013, and

5. I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with Sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013, and

6. I solemnly declare that the declaration given herein as stated above are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.

***To be Digitally signed by Applicant** DSC BOX

Certification

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

- *I have satisfied myself about the identity of the applicant based on the perusal of the original of the attached document

  Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.
- I also verify having attested the photograph of the said person:
  - who is personally known to me; or
  - who met me in person along with the original of the attested documents.
- *It is further certified that all required attachments have been completely attached to this application
- *I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by theCompany/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.
- *I further certify that:
  - *All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
  - *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for future reference.
  - *It is understood that I shall be liable for action under Section 449 of the Companies Act, 2013 forwrong certification, if any found at any stage.

***To be digitally signed by** DSC BOX

*Category

In case of chartered accountant or company secretary or cost accountant (in whole time practice)

Membership Number

Certificate of Practice Number

Whether Associate or fellow o Associate o fellow

In case of company secretary (in whole time employment) or director of existing company in which the applicant is proposed to be director

DIN of the Director or membership number of Company Secretary

CIN of company with which secretary or director is associated and in which applicant is proposed to be a director

Pre-fill

Name of company

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide forpunishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

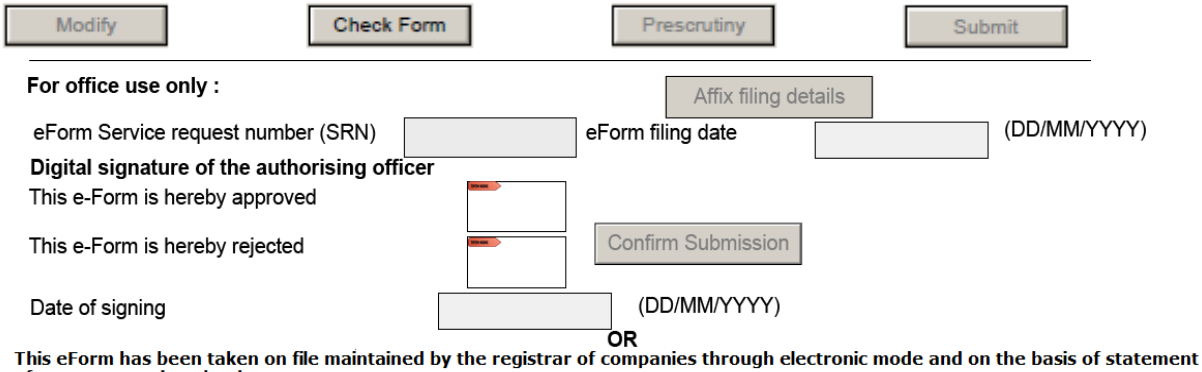

(9) after form DIR-3 as substituted, the forms DIR-3A, DIR-3B and DIR 3C shall be inserted, namely:-

"FORM. DIR-3A

Declaration

[Pursuant to rule 9(4) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

If the name of a person does not have a last name, then his/her father's first name should be filled in the mandatory "last Name' field. In such a case, declaration should also be submitted along with DIN application, in the format given below:

Specimen/format of declaration:

(If ID proof has single name for applicant)

I.…… (Applicant name as per ID proof) son/daughter of ……..…… (Name)……..... (Surname) residing at …….. (Address as per address proof) do solemnly affirm and state as follows:

I do not use my Family Name/Surname as my last name. However, as this is a mandatory requirement for DIN application, I am using my father's surname as last name.

I solemnly declare that the statements given above are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.

I further declare that I have read and understood the provisions of sections 153, 155, 156, 447 and 448 read with sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.

(If ID proof has single name for applicant's father)

I..…… and my father's name …..……., as appearing on the enclosed ID proof, does not have the surname. My grandfather's name is … (name)…… (Surname)……. For the purpose of the DIN application, I am mentioning my grandfather's surname "……." as my surname, as this is a mandatory requirement for applying DIN.

I solemnly declare that the statements given above are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.

I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 153, 447 and 448 read with Sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.

Date Signature of the Applicant"

Place

_____

FORM DIR-3B

Intimation of allotment of Director Identification Number (DIN) to the Company by the Director

[Pursuant to rule 10(A) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2014]

To

_____

_____

Date _____

Subject: Intimation of allotment of Director Identification Number (DIN) to the Company by the Director

Sir, Reference section 156 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, I am submitting the information regarding DIN allotted to me along with additional information as prescribed:

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Subject</th><th>Particulars</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Director Identification Number (DIN)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Name</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Father's Name</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Present residential address</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>e-mail ID</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Designation (Director or Managing Director or Alternate director or Additional Director or Director appointed in casual vacancy or Nominee Director or Whole-time director) (please specify)</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Specify whether Chairman, Executive Director, Non-Executive Director (in case more than one, specify both)</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Category (Promoter or Professional or Independent)</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Name of the company or Institution whose Nominee the director is</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Date of Appointment</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Detail of the companies in which appointed as director/KMP
<table>
<tr><th>Name of the Company</th><th>CIN</th><th>Designation</th><th>Dateof appointment</th></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Specimen Signature</td><td></td></tr>
</table>

A copy of the DIN Allotment Letter is enclosed. Please acknowledge the receipt.

Declaration

I herebydeclare that:-

(i) I was appointed as director since incorporation i.e. with effect from……

Or

(ii) I was appointed as director by the Board w.e.f. ……. vide board resolution number ……dated ……. **or**by the shareholders resolution number…….. dated …… w.e.f …….. (copy of the said resolution shall be attached).

(iii) Copy of form 32 filed with the ROC to the effect of such appointment.

Yours Faithfully

FORM DIR-3C Intimation of Director Identification Number by the company to the Registrar

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. *Corporate identity number (CIN) of company | Pre-fill

2(a). Name of the company

(b). Address of the registered office of the company
Line I
Line II

(c). *City

(d) *District | (e). *State

(f). *ISO country code | (g). *Pin code

3. *e-mail ID of the company

4. Authorised capital (in Rupees) | 5.Number of members of the company

6. Paid-up capital (in Rupees)

7(a). Total number of Managing Director, Director(s) as on the date of filing of this form

7(b). Number of Managing Director, Director(s) **(Enter here the total number of managing director, directors for which the form needs to be filed)**

8. Details of the Managing Director, Directors of the company

I. Details of the Director or Managing Director of the company

Director Identification Number (DIN) | Pre-fill

Full name

Father's name

Present residential address

Date of birth (DD/MM/YYYY)

Date of approval of DIN by Central Government (DD/MM/YYYY)

Date of receipt of Form DIN 2 from the director (DD/MM/YYYY) | Attach copy of Form DIN-2

Whether the address is as per the company's records ◯ Yes ◯ No

Designation

Category

Whether Chairman, Executive Director, Non-Executive Director

☐ Chairman ☐ Executive Director ☐ Non-Executive Director

9. Details of the Manager or Secretary of the company

I. Details of the Manager or Secretary of the company

Income-tax permanent account number (PAN)

First name

Middle name

Last name

Father's name

First name

Middle name

Last name

Present residential address Line I

Line II

(a) City (b)State

(b) Country (d) Pin code

(e) Phone (f) Fax

Date of birth (DD/MM/YYYY)

Designation

Date of appointment (DD/MM/YYYY)

DIN of the director to whom the appointee is alternate Pre-fill

Name of the director to whom the appointee is alternate

Name of the company or institution whose nominee the appointee is

Date of appointment (DD/MM/YYYY)

e-mail ID

Whether employed full time or part time ◯ Full Time ◯ Part Time

e-mail ID

II Details of the Manager or Secretary of the company

Income-tax permanent account number (PAN)

First name

Middle name

Last name

Father's name

First name

Middle name

Last name

Present residential address Line I

Line II

(a) City (b)State

(c) Country (d) Pin code

(e) Phone (f) Fax

Date of birth (DD/MM/YYYY)

Designation

Date of appointment (DD/MM/YYYY)

Whether employed full time or part time ◯ Full Time ◯ Part Time

e-mail ID

Attachments

1. Optional attachment(s) - if any

Attach

List of attachments

Remove attachment

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form is correct and complete.

* I have been authorized by the board of directors' resolution dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

It is hereby confirmed that the appointed director(s) whose particulars are given above, has given declaration to the company that he/she is not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including Section 164 of the said Act.

It is also confirmed that the appointed director(s) whose particulars are given above, has given a declaration to the company that he/she has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.

To be digitally signed by

Managing director or director or manager of the company

*Designation

Director identification number of the director

* **Certification**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the records of M/s

and found them to be true and correct.

To be digitally signed by

Company Secretary in whole-time practice or the Company Secretary in full-time employment of the company

*Designation

Membership number of the secretary

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

(10) form DIR4 shall be omitted;

(11) for the existing Form DIR-6, the Form DIR-6 shall be inserted, namely:-

FORM NO. DIR-6

[Pursuant to rule 12 (1) of the Companies(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Intimation of change in particulars of Director to be given to the Central Government

Note -

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.

- In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/ designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN.Refer instruction kit for details

1.(a) * Director Identification Number (DIN) Pre-fill

(b) Name

2. * Type of change:

- ☐ Director
- ☐ Father's name
- ☐ Nationality
- ☐ Date of birth
- ☐ Gender
- ☐ Income-tax PAN
- ☐ Voters Identity card number
- ☐ Passport number
- ☐ Driving license number
- ☐ E-mail ID/ Mobile
- ☐ Permanent residential address
- ☐ Present residential address
- ☐ Photograph of Director
- ☐ Residential Status
- ☐ **Aadhaar number**

Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s)

3. Director's name(Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

4. Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)(Refer instruction kit for details)

Remove Photograph

5. Whether a citizen of India ◯ Yes ◯ No

6. Nationality

6A. Whether resident in India ◯ Yes ◯ No

7. Date of birth (DD/MM/YYYY)

8. Gender ◯ Male ◯ Female **O Transgender**

9. Income tax PAN

10. Voter's identity card number

11. Passport number

12. Driving license number

13. Aadhaar number

*14. Mobile

*15.Email ID

Verify details

16. Permanent residential address

Line I			
Line II			
City			
State		Pin code	
ISO country code		Phone	Fax
Country			

17.

Whether present residential address is same as permanent residential address ◯ Yes ◯ No

Persent address

Line I			
Line II			
City			
State		Pin code	
ISO country code			
Country			
Phone		Fax	

List of Attachments

Attachments:

1. *Proof of change in particulars; Attach

2. Optional attachments, if any. Attach Remove Attachment

Verification

I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents being attached to this form.

(i) The photograph and documents being attached to the Form DIR-6 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIR-6 and

(ii) I am not restrained, disqualified, removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and

(iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and

(iv) I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated under section 154 of the Companies Act, 2013 or a Designated Partner Identification Number under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(v) I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.

***To be digitally signed by Applicant**

Certification DSC

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

☐ *I have satisfied myself about the identity of the applicant based on the perusal of the original of the attached document.

Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.

- I also verify having attested the photograph of the said person:
  - o who is personally known to me; or
  - o who meet me in person along with the original of the attested documents.
- *All required attachments have been completely attached to this application
- *I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.
- *I further certify that:
  - *All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
  - *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for future reference.
  - *It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

***To be digitally signed by** DSC Box

*Category

*Whether associate or fellow

*Membership Number

*Certificate of Practice Number

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Confirm Submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This e-Form has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

(12) form DIR-7 shall be omitted;

[F . No. 01/9/2013(Part-II) CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide no. G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054